King George's. Medical University

Uttar Pradesh, Lucknow - 226003

Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace

(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: 222/PHY/Camp/ICSHWW/2020 **Date:** 28/04/2020

कार्यवृत्त

श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, नियुक्ति प्राधिकारी/दन्डन अधिकारी के पत्र संख्या–63/गैर शै0 अधि0 एवं पें. अनु0/2020 दिनांक–15/04/2020 के द्वारा कु0 [illegible] पत्र सेवा–प्रदाता से तैनात (महिला कार्मिक) नर्सिंग स्टाफ का शिकायती पत्र प्रेषित किया है। जिसमें [illegible] (नर्सिंग स्टाफ/वार्ड मास्टर), जनरल सर्जरी ट्रामा सेन्टर द्वारा अभद्रता/दुर्वव्यवहार/यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उपरोक्त पत्र में अंकित प्रकरण की जॉच हेतु इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस के कार्यालय पत्र संख्या–72/आई0सी0एस0एच0डाब्लू0डाब्लू0/2020 दिनांक–17/04/2020 के तहत प्रो0 सुनीता तिवारी, अध्यक्षा, की अध्यक्षता में दिनांक–21/04/2020 दिनांक–11:00 बजे फिजियोलाजी विभाग में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो0 सुनीता तिवारी	(अध्यक्ष)
2. प्रो0 नरसिंह वर्मा	(सदस्य)
3. प्रो0 आर0ए0एस0 कुशवाहा	(सदस्य/संयोजक)
4. प्रो0 समीर मिश्रा	(सदस्य)
5. प्रो0 सुजाता देव	(सदस्य)
6. प्रो0 विभा सिंह	(सदस्य)
7. डा0 रेखा सचान	(सदस्य)
8. डा0 चन्द्रकान्ता	(सदस्य)

निम्नलिखित सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायीं।

1. डा0 अनुराधा निश्चल	(सदस्य)
2. डा0 स्वेता सिंह	(सदस्य)
3. श्रीमती उषा अवस्थी	(सदस्य)

समिति के समक्ष सर्जरी विभाग के आर0एस0ओ0 वार्ड में जो घटना के समय उस स्थान पर कार्यरत थे, उन कर्मचारियों का लिखित एवं मौखिक बयान लिया गया जिसमें प्रथमदृष्टया निम्न तथ्य प्रकाश में आयें।

01. 27 मार्च 2020 को सुबह लगभग 09:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य आर0एस0ओ0 सर्जरी वार्ड के ट्रामा सेन्टर में नर्सिंग स्टेशन पर उक्त घटना घटित हुई, जहॉ पर सिस्टर के अलावा अन्य कर्मचारी एवं मरीज के तीमारदार भी उपस्थित थे।

02. घटना के समय उपस्थित समस्त प्रत्यक्षदर्शी नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य चिकित्सको/कर्मचारियों का बयान लेने के उपरान्त यह प्रतीत हुआ कि स्टाफ नर्स [illegible] डियूटी के दौरान अपने फोन से फोटो (सेल्फी) ले रही थी, तत्समय सहायक वार्ड मास्टर [illegible] को फोन ना इस्तेमाल करने के लिए बोला जिससे वाद–विवाद उत्पन्न हुआ।

03. आर0एस0ओ0 सर्जरी वार्ड में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य से बयान लेने के उपरान्त यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि [illegible] तेज आवाज में बोलते हुए कार्य में लापरवाही के प्रति नर्सिंग स्टाफ को बहुत डॉटते है किन्तु यह प्रमाणित नही हो पाया है कि महिला सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार यौन उत्पीड़न के श्रेणी में आता है। यह भी संज्ञान में आया है कि [illegible] ने शारिरिक तौर पर शिकायतकर्ता के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार/यौन उत्पीड़न किया हो, इसकी सत्यता प्रमाणित नही पाई गई।

04. कर्मचारियों के बयान से यह ज्ञात हुआ कि ट्रामा सेन्टर के आर0एस0ओ0 सर्जरी वार्ड में कोई आदेश निर्गत नही है कि सभी संविदा कर्मी अपना फोटो निर्धारित समय पर हाजिरी की पुष्टि के लिए ह्वाटसप ग्रुप पर भेजेंगे। जिससे यह प्रतीत होता है कि वार्ड में मोबाईल का अनावश्यक प्रयोग किया जा रहा था जो कि अधीक्षक के आदेश संख्या–8264 दिनांक–02/07/2020 का सरासर उल्लंघन है।

Scanned with CamScanner

King George's. Medical University

Uttar Pradesh, Lucknow - 226003

Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2020 **Date:**

निष्कर्षः–

- अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि [illegible] सहायक वार्ड मास्टर सर्जरी विभाग का उस वार्ड/विभाग से स्थानान्तरण किसी अन्य वार्ड/विभाग में किया जाय। साथ ही समिति उनसे यह अपेक्षा करती है कि भविष्य में वे अधिक सावधानी के साथ अपने सहकर्मियों तथा सीनियर से मर्यादित व्यवहार करें एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- स्टाफ नर्स (संविदा कर्मी) [illegible] श्रीवास्तव को कार्यदायी संस्था के माध्यम से यह निर्देशित किया जाय कि उन्हे तत्काल प्रभाव से वर्तमान तैनाती से हटा कर अन्यत्र स्थानातरण किया जाये, साथ में कड़ी चेतावनी भी दी जाय कि वह अपने सहकर्मियों से मर्यादित व्यवहार रखे एवं इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की कोई भी पुनरावृत्ति न हो।

प्रो0 सुनीता तिवारी **(अध्यक्ष)**	**प्रो0 नरसिंह वर्मा** **(सदस्य)**	**प्रो0 आर0एस0 कुशवाहा** **(सदस्य/संयोजक)**	**प्रो0 समीर मिश्रा** **(सदस्य)**
प्रो0 सुजाता **(सदस्य)**	**प्रो0 विभा सिंह** **(सदस्य)**	**प्रो0 रेखा सचान** **(सदस्य)**	**डा0 चन्द्रकान्ता** **(सदस्य)**

Scanned with CamScanner

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
कुलसचिव कार्यालय

फोन : 91-0522-2258365 फैक्स : 91-0522-2257539 वेबसाईट : www.kgmcindia.edu.

पत्रांक: 63 / गैर शै0 अधि0 एवं पें0 अनु0 / 2020 दिनांक: 15/04/2020

–आदेश–

दिनांक 27.03.2020 को ट्रामा सेन्टर, जनरल सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेवा–प्रदाता एजेंसी के माध्यम से तैनात (महिला कार्मिक) नर्सिंग स्टाफ द्वारा रिपोर्ट रजिस्टर तैयार करते समय [illegible] (नर्सिंग स्टाफ / वार्ड मास्टर), जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर द्वारा अभ्रदता / दुर्वव्यवहार / Sexual Harassment किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आया है, साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त कार्मिक द्वारा महिला कार्मिक (आउटसोर्सिंग) को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी गयी है। [illegible] द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित आचरण एवं अशोभनीय कृत्य से महिला कार्मिक की गरिमा को ठेस पहुचाने के साथ–साथ चिकित्सा विश्वविद्यालय की छवि को भी धूमिल किये जाने का कुत्सित प्रयास किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह, वार्ड मास्टर, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2011 के परिनियम 16.26 एवं सपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के प्राविधानान्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

2. निलम्बन की अवधि में श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह, वार्ड मास्टर, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन–निर्वाह–भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन–निर्वाह–भत्ते की धनराशि पर महँगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन–निर्वाह के साथ कोई महँगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3. उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री [illegible] पुत्र श्री दीनानाथ सिंह, वार्ड मास्टर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे निलम्बन अवधि में किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में लिप्त नहीं है।

4. श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, वार्ड मास्टर, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच हेतु प्रो0 सुनीता तिवारी, फिजियोलोजी विभाग (Presiding Officer, Internal Complaints Committee) को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जॉच अधिकारी द्वारा निलम्बित कार्मिक के विरूद्ध यथा–शीघ्र आरोप–पत्र का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त आरोप–पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, वार्ड मास्टर, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ निलम्बन अवधि में अधीक्षक, गॉधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
नियुक्ति प्राधिकारी / दन्डन अधिकारी)

16/04/2020

Scanned with CamScanner

<u>पृष्ठांकन संख्या 63 ई0/20, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, वार्ड मास्टर, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
2. प्रो0 सुनीता तिवारी, फिजियोलोजी विभाग (Presiding Officer, Internal Complaints Committee), जॉच अधिकारी को सम्बन्धित अभिलेखों के साथ इस आशय से प्रेषित कि वह नियमानुसार आरोप—पत्र यथाशीघ्र गठित करते हुए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।
3. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
4. विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी एवं ट्रामा सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. प्रभारी, नियुक्ति एवं चयन अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

15/04/2020

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
नियुक्ति प्राधिकारी/दन्डन अधिकारी)

11:45 am
16/4/2020

16/4/2020

Ref.no. 1758/PHY/2020
dt. 16/4/2020

Chief Proctor
to arrange for ICC meeting in the room of undersigned on 20/4/2020 at 11.00 AM.

16/4/20

HEAD
Department of Physiology
K.G. Medical University
Lucknow

प्रो0 सुनीता तिवारी
Physiology

Scanned with CamScanner

मैं अंकिता श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स (वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम) इमरजेन्सी सर्जिकल वार्ड, ट्रॉमा सेन्टर, प्रथम तल के आर॰ एस॰ ओ॰ वार्ड में कार्यरत हूँ। मैं शपथपूर्वक निम्न बयान करती हूँ :

बयान

1. मैं अरूणोदय एजेन्सी के माध्यम से जनवरी 2019 से आर॰ एस॰ ओ॰ वार्ड में कार्यरत हूँ।

2. मैं दिनाँक 27/03/2020 को अपनी ड्यूटी पर रिपोर्टिंग कर रही थी।

3. आर॰ एस॰ ओ॰ वार्ड में कार्यरत श्री सिंह, वार्ड मास्टर सहायक जो दिनाँक 27/03/2020 को ड्यूटी के दौरान मेरे पास आए। मेरे कान में बोले की जरूरत हो तो ले लो और एक 1000 रू॰ रात के मजे मुझे दे दो या फिर 1000 रू॰ मुझे दो। यह सुन मैं घबरा गई और अपनी सीट से उठ खड़ी हो गयी। जिसपर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर चुप रहने और बैठ जाने को कहा और कहा सब लोग सुन लेंगे। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने जोर से मेरा हाथ मोड़ते हुए मेरे संवेदनशील अंगों को भी चोट पहुँचायी और मेरे विरोध करने पर जोर-जोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि ड्यूटी आवर्स में रिपोर्टिंग का काम न करके मोबाइल से वार्ड की फोटो और वीडियो बनायी जा रही है तथा सीनियर डॉ॰ संजीव सर असिस्टेन्ट प्रोफेसर से मेरी शिकायत कर नौकरी से निकलवाने की धमकी
... उठ बाहर निकल

E
[illegible]
15/04/2020

जब डॉ० साहब आएगे तब तू यहाँ काम करेगी।" उनके
यह कहने पर मेरे द्वारा विरोध किया गया मेरे यह
कहने पर आप कौन होते है मुझे नौकरी से निकलवाने
वाले तो वे बोले " आज तुझे नौकरी से नहीं निकलवा
दिया तो मेरा नाम सिंह नहीं" और फिर
मुझे भद्दी - भद्दी गालियाँ देने लगे। जिससे मैं
बहुत आहत हो गयी। मैं अपने मोबाइल से पूरे
प्रकरण को साक्ष्य रूप में रिकार्ड कर रही थी।
जिसका उनको पता चल गया और श्री सिंह
जी ने मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया और
वीडियो रिकार्ड नहीं करने दिया परन्तु एक
वीडियो का कुछ अंश मैने रिकार्ड कर लिया था
जो मेरे पास साक्ष्य रूप में उपलब्ध है। जिसको
मैं आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत कर दूंगी। उसके
बाद श्री सिंह जी ने ड्यूटी पर उपस्थित
दीप्ती श्रीवास्तव वार्ड मास्टर सहायक एवं कैनी
एस० फिलिप्स - वार्ड इंचार्ज से मुझे निकलवाने के
लिए एप्लिकेशन लिखने को कहा, जिस पर उन्होंने
मेरे विरुद्ध एप्लिकेशन लिख दी। अपने बचाव
में मैं इंचार्ज रूम में इंचार्ज को घटनाक्रम
से अवगत कराने के लिए गयी तो वहाँ पर
उपस्थित श्री सिंह जी ने कहा कि अपने
चरित्र का प्रमाण मत दो तुम चरित्रहीन हो।
उसको सुन कर मेरे इंचार्ज ने मेरे तरफ से
कुछ भी नहीं बोला एवं सिर्फ उनका पक्ष
सुन और प्रतिष्ठा और उनके डर से मेरे विरुद्ध
एप्लीकेशन लिख दी।

Scanned with CamScanner

श्री सिंह जी पहले भी ऐसा कई महिला कर्मचारियों के साथ कर चुके है, परन्तु उनके डर से किसी की उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है।

श्री सिंह जी द्वारा अपने पद, प्रतिष्ठा और पहुँच का प्रयोग कर मेरे साथ कार्यरत अन्य संविदा स्टाफ को धमकी दी गयी कि यदि कोई श्रीवास्तव का साथ देता है तो मैं उसे मा० योगी जी तक ले जाऊँगा एवं नौकरी से निकलवा दूँगा तथा उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दूँगा। जिसके डर से कोई भी कर्मचारी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है।

6. श्री दीपक सिंह जी ने 30/03/2020 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षक महोदय, नवीन इम० कॉम्पलेक्स ट्रॉमा सेन्टर के० जी० एम० यू० को मेरे विरुद्ध शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मेरा तथा रूबी सिंह का स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया।

7. कर्मचारी परिषद द्वारा मुझे आपसी बात-चीत कर सुलह कर लेने की सलाह दी गयी, जिस पर मैं तैयार हो गयी परन्तु श्री सिंह जी द्वारा न ही क्षमा मांगने और न ही लिख कर माफी देने को तैयार हुए।

8. उक्त वाकया के पश्चात श्री जी द्वारा प्रायः किसी न किसी बात पर मुझे प्रताड़ित, जलील किया जाने लगा जिससे मैं आहत हो गयी एवं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है परन्तु डर एवं नौकरी जाने के भय से मेरे द्वारा कभी शिकायत नहीं की गयी। मगर रोज-रोज की

Scanned with CamScanner

टिप्पणी और गंदी भाषा के प्रयोग से परेशान होकर
मैंने श्री सिंह, (वार्ड मास्टर सहायक) के
विरुद्ध दिनाँक 05.04.2020 को कुलपति जी, कुलसचिव
जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी एवं अधीक्षक
जी को एक शिकायती पत्र मेल द्वारा प्रेषित किया
गया तथा दिनाँक 07.04.2020 को स्वयं सभी
कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से भी रिसीव
करवा दिया गया।

9. पुनः अवगत कराना है कि श्री सिंह जी द्वारा मुझे कई बार स्पर्श करने का प्रयास किया जा चुका है तथा साथ में सोने के लिए अनेकों बार कहे जाने पर परेशान होकर मेरे द्वारा उनकी पत्नी से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है।

10. श्री सिंह जी द्वारा बार-बार बलात्कार करने, गैंग रेप करवाने एवं जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है।

11. श्री सिंह जी द्वारा वार्ड में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अवैध वसूली भी की जाती रही है, जैसे कभी 1000 तो कभी 500/- परन्तु उनकी दबंगता के कारण कोई भी कर्मचारी विरोध नहीं कर पाता है।

Ankita

अंकिता श्रीवास्तव
स्टाफ नर्स (आउटसोर्सिंग)
इम॰ सर्जिकल वार्ड
(आर॰ एस॰ ओ॰)
दिनाँक - 15/04/2020

Scanned with CamScanner